(71) (32)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2016 पार्ट जयपुर दिनांक 14 JUN 2017

सचिव,
नगर विकास न्यास,
पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौडगढ/सवाईमाधोपुर

आयुक्त,
नगर परिषद,
पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौडगढ/सवाईमाधोपुर

विषय :— पूर्व में अनिस्तारित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.09.2013, 06.02.2014 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2014 एंव 08.05.2017 की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार नगर सुधार न्यास पाली, सीकर, बाडमेर, चित्तौडगढ, एवं सवाईमाधोपुर के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 06.02.2014 से पूर्व के जिन प्रकरणों में ले–आउट प्लान अनुमोदित हो चुके है उनमें पट्टे जारी करने का कार्य संबंधित नगर परिषद द्वारा किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ले–आउट प्लान अनुमोदित नही हुए है ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित नगर परिषद द्वारा 10.07.2017 तक पट्टे जारी किये जाये तत्पश्चात् समस्त रिकार्ड नगर विकास न्यासों को दिनांक 11.07.2017 को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 06.02.2014 के बाद के प्रकरणों में यथावत् पट्टे जारी करने का कार्य नगर विकास न्यासों द्वारा किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व के आदेशों के संदर्भ में जिन प्रकरणों का हस्तान्तरण सम्बन्धित नगर विकास न्यास को किया जा चुका है, उन प्रकरणों में कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा ही की जायेगी।

भवदीय
(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव,नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय
14/6/17

(176)